आयुक्त आयकर, बैंगलोर व अन्य

बनाम

मैसर्स शताब्दी निर्माण उद्योग प्राईवेट लिमिटेड

10 अगस्त, 2007

(एस. एच. कपाड़िया और बी. सुदर्शन रेड्डी, न्यायाधिपतिगण)

आयकर अधिनियम, 1961

उपनियम 194 अ, 201 और 201(1अ)- स्त्रोत पर कर कटौती योग्य- ब्याज पर- कटौती करने की देयता- निर्धारिती के निदेशक- कंपनी अपने नाम से लेनदारों से ऋण ले रही- निर्धारिती कंपनी के माध्यम से ऋण राशि या उस पर ब्याज का पुनर्भुगतान धारा 194 अ(1) के तहत आवश्यक टीडीएस ब्याज भुगतान पर निर्धारिती कंपनी द्वारा स्त्रोत पर कटौती नहीं की- कंपनी की निर्धारिती को चूक के रूप में घोषित किया गया और धारा 201(1 अ) के तहत ब्याज लगाया गया। अभिनिर्धारित: जब कभी भी प्राप्तकर्ता के खाते में ब्याज जमा किया जाता है तो भुगतानकर्ता

द्वारा टीडीएस काटना चाहिए। राजस्व प्राप्त करने निर्धारिती कंपनी के विरुद्ध अधिकार उपनियम 201 व 201 (1अ) के प्रेरक के रूप में- तथापि तथ्यों पर, पिछले सालों के देखने पर पहली बार राजस्व को निर्धारिती कंपनी द्वारा टीडीएस की कटौती की अनुमति नहीं देनी चाहिए और एओ को इस तरह की अभ्यास की आपत्ति दायर करने से नहीं रोक लगाती है।

प्रत्यर्थी निर्धारिती कंपनी का एक सर्वेक्षण- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133 अ के तहत किया गया था और जिसमें कटौती की गयी कि कंपनी के निदेशकों ने अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं से कंपनी के लेनदारों से ऋण लिया। चैक के माध्यम से ऋण राशि प्राप्त कर निर्धारिती के बैंक खातों में जमा की और उसी दिन सम्बधित चैक्स जारी करके निदेशकों के खाते में स्थानान्तरित कर दिया। पुनर्भुगतान हेतु ऋण राशि या उस पर ब्याज की अदायगी निर्धारित कंपनी के माध्यम से इसी तरह से भेजा गया था, लेकिन निर्धारिती कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 194 अ(1) के तहत ब्याज भुगतानों के स्त्रोंत पर टीडीएस नहीं काटा गया और इसलिए एओ ने कंपनी को निर्धारिती व्यक्तिक्रमी घोषित करके अधिनियम की धारा 201(1) के प्रावधानों को लागू

किया और स्त्रोत पर टीडीएस की कटौती नहीं करने के लिए ब्याज लगाने वाले अधिनियमों की धारा 201(1अ) को भी लागू किया। एओ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि अपीलीय प्राधिकरण ने की हालांकि प्राधिकरण ने निर्धारिती कंपनी के तर्क को स्वीकार किया कि यह एक मात्र एक माध्यम था जो कि ऋणों और भुगतानों को बदला गया था और यह केवल ब्याज के साथ ऋणों के पुनर्भुगतान का वितरण कर रहा था और इसलिए यह अधिनियम की धारा 194 अ के तहत स्त्रोत पर टीडीएस की कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। इससे व्यथित राजस्व विभाग ने अपीलें दायर की।

अपीलों को अनुमति देते हुए न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1.1. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा यह अभिनिर्धारित करना सही नहीं था कि निर्धारिती कंपनी की ओर से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 अ की वैधानिक आवश्यकता का पालन करने के लिए कोई बाध्यता नहीं थी कि वह निर्धारिती द्वारा लिए गए ऋणों के लिए उसके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज के स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) में कटौती करें और इस आधार पर ब्याज के साथ चुकाये की ऋणों को निर्धारिती

कंपनी के निदेशकों के लिए थे न कि निर्धारिती कंपनी के लिए ओर यह निष्कर्ष दर्ज करने के बाद कि निदेशकों ने कंपनी के नाम का लाभ उठाने के लिए कंपनी के नाम का दुरूपयोग कर ऋण प्राप्त किया था। [पैरा 1 और 9], [961- डी, ईः967-ई]

1.2. अधिनियम की धारा 194 अ(1) में मूलभूत अभिव्यक्ति है "ऐसी आय को प्राप्तकर्ता के खाते में जमा करने के समय जब ब्याज को "ब्याज खाते" में नामे किया जाता है तो नामे एक विशिष्ट राशि के लिए होता है जिसकी गणना ऋण के नियमों और शर्तों के अनुसार किसी विशिष्ट लेनदार के लिए कटौतीकर्ता के दायित्व के संदर्भ में की जाती है इसलिए जब भी प्राप्तकर्ता के खाते में ब्याज जमा किया जाता है तो भुगतानकर्ता को टीडीएस काटना पड़ता है। इस मामले का सार यह है कि नामे एक विशिष्ट राशि के लिए होता है, जिसकी गणना ऋण के नियमों और शर्तों के अनुसार किसी विशेष लेनदार के लिए कटौतीकर्ता के दायित्व के संदर्भ में की जाती है। [पैरा 7] [966-एच; 967-ए-बी]

1.3. हस्तगत मामले में ऋणदाता ने निर्धारिती कंपनी को ऋण अग्रिम दिया था। ब्याज खाते से निर्धारिती कंपनी द्वारा नामे किया हुआ विशिष्ट गणना की राशि जो कि लेनदारों के प्रति

कटौतीकर्ता के दायित्व के संदर्भ में है। इसलिए निर्धारिती कंपनी ने कोई प्रस्ताव एओ के सामने नहीं रखा। किसके तहत कंपनी उधार और पुनर्भुगतान के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करने के सहमत हुई है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि निर्धारिती कंपनी जिन निदेशकों द्वारा उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं में किए पुनर्भुगतान के वितरण की प्रभारी थी। नतीजतन विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 201 व 201(1अ) के प्रावधानों को लागू करने में सही था। हालांकि तथ्य के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में पहली बार विभाग को कंपनी द्वारा टीडीएस के गैर कटौती की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी और एओ को ऐसा कार्य करने की आपत्ति उठाने से किसी ने नहीं रोका था। [पैरा 7 व 8] [967 बी, सी, डी]

दीवानी अपीलीय न्याय निर्णय: 2005 की सिविल अपील संख्या 6820

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के आई टी ए नम्बर 204/2002 दिनांकित 11.03.2004 निर्णय व आदेश से।

के साथ

2005 के सी ए नम्बर 6834, 6833, 6832, 6831, 6830, 6829, 6828, 6827, 6826, 6823, 6822, 6825, 6824, 6821

विकास सिंह, एएसजी प्रीतिश कपूर, विष्णु शर्मा, राघवेन्द्र राव, आशाजी नायर और बी वी बलरामदास अपीलार्थीगण की ओर से।

वी. शंकर, नरेश कौशिक, ललिता कौशिक, वी एस मेथेला, अमिता कल्कल, सतीश दयानन्दन, पराग गोयल, गिरिजा शंकर पांडे और समीर सिंह प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।

कापड़िया न्यायाधिपति

1. एक संक्षिप्त प्रश्न जो इन अपीलों में निर्धारण के लिए उठता है - क्या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यह मानने में सही था कि आयकर अधिनियम की धारा 194अ की वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए निर्धारिती-कंपनी की पार्टी पर कोई दायित्व नहीं था तथा निर्धारिती द्वारा लिए गए ऋणों के लिए, उसके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज के स्रोत पर कर कटौती करके और ब्याज के साथ चुकाया ऋण निर्धारिती-कंपनी के

निदेशकों के लिए थे, न कि निर्धारिती कंपनी के लिए और यह पाया गया कि निदेशकों ने ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनी के नाम का दुरुपयोग किया था।

2. इन दीवानी अपीलों के उठने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

निर्धारिती (सभी सिविल अपीलों में एकमात्र प्रत्यर्थी) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है जो रियल एस्टेट और निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई है। अधिनियम की धारा 133ए के तहत एक सर्वेक्षण किया गया जब कंपनी के व्यावसायिक परिसरों में चेक रसीद रजिस्टर और चेक भुगतान रजिस्टर पाए गए। उक्त पुस्तकों की जांच करने पर, विभाग ने कंपनी के निदेशकों (निर्धारिती) द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में निर्धारिती कंपनी के नाम पर लेनदारों से ऋण लेना पाया गया। निर्धारिती के नाम पर चेक के माध्यम से प्राप्त ऋण राशि निर्धारिती के बैंक खातों में जमा की गई और उसी दिन संबंधित चेक जारी करके निदेशकों के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। जब निदेशकों ने ऋण राशि या उस पर ब्याज का भुगतान किया तो ऐसे भुगतान भी निर्धारिती-कंपनी के माध्यम से किए गए थे। निदेशकों ने निर्धारिती के पक्ष में चेक जारी किए और करदाता ने

बदले में ऐसे निदेशकों के लेनदारों/ऋणदाताओं को चेक जारी किए। निदेशकों द्वारा ऋण राशि की प्राप्ति, साथ ही ऋण और ब्याज का पुनर्भुगतान, सभी संबंधित निदेशकों के खातों की पुस्तकों में दिखायी दे रहे हैं। प्राप्तियां और व्यय निर्धारिती कंपनी के निदेशकों के खातों में दिखाए गए थे। निर्धारिती कंपनी के खातों की पुस्तकों में निर्धारिती कंपनी द्वारा उधार लिए गए ऋण प्रतिबिंबित नहीं हुए। निर्धारिती के अनुसार, न तो उधार, न ही पुनर्भुगतान और न ही उधार पर ब्याज का भुगतान निर्धारिती के खातों की पुस्तकों में लेनदेन के रूप में दिखायी देता है। वे केवल निर्धारिती कंपनी की पुस्तकों में निदेशकों के खातों में दिखायी देता है।

3. ए.ओ. (मूल्यांकन अधिकारी) द्वारा पाया गया कि जब कंपनी द्वारा लेनदार को जारी किए गए चेकस द्वारा ब्याज का भुगतान किया गया था, तो अधिनियम की धारा 194 अ (1) के तहत आवश्यक ब्याज भुगतान पर करदाता द्वारा स्रोत पर टीडीएस नहीं काटा गया था और इसलिए एओ (मूल्यांकन अधिकारी) ने उक्त धारा के प्रावधानों को लागू किया। अधिनियम की धारा 201(1) में करदाता कंपनी को डिफॉल्ट करदाता घोषित किया गया

और अधिनियम की धारा 201(1अ) भी लागू की गई, जिसमें स्रोत पर टीडीएस की कटौती न करने पर ब्याज लगाया गया। एओ द्वारा पारित आदेश की अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई। प्राधिकरण के समक्ष निर्धारिती ने तर्क दिया कि उधार जो लिया वह कंपनी के माध्यम से लिया गया था तथा कंपनी महज एक माध्यम थी जिसके माध्यम से उधार और पुनर्भुगतान किया जाता था तथा ऋण निदेशकों द्वारा लिया गया था न कि कंपनी द्वारा। ऋण और उस पर ब्याज कंपनी के खातों की किताबों में दर्शाये नहीं थे और कंपनी केवल ब्याज सहित ऋणों का भुगतान कर रही थी और इसलिए, यह उत्तरदायी नहीं थी तथा अधिनियम की धारा 194अ के तहत स्रोत पर टीडीएस काटें गए। करदाता के इस तर्क को प्राधिकरण ने स्वीकार कर लिया। इसलिए, यह अपीलें विभाग द्वारा दायर की गयी।

4. वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि निर्धारिती-कंपनी ने अधिनियम की धारा 194 अ के तहत टीडीएस काटे बिना ब्याज का भुगतान किया है। यह विवाद में नहीं है कि ऋणदाताओं द्वारा निर्धारिती-कंपनी को ऋण दिए गए थे। यह विवाद में नहीं है कि करदाता द्वारा ऋण का भुगतान उसके बैंक खातों के माध्यम

से किया गया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि निर्धारिती द्वारा ब्याज का भुगतान किया गया था।

5. उपरोक्त तथ्य दिनांक 06.12.1995 को अधिनियम की धारा 133 अ के तहत विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के दौरान ही पता चला। करदाता द्वारा दाखिल लारिटर्न में इसका खुलासा कभी नहीं किया गया। कंपनी को कारण बताने का अवसर दिया गया कि कंपनी अधिनियम की धारा 194 अ के तहत टीडीएस काटने में क्यों विफल रही। जवाब में कंपनी के निदेशक ने स्वीकार किया कि किया गया लेनदेन केवल नाम मात्र के लिए था। हालाँकि, यह तर्क दिया गया कि ऋणदाताओं और करदाता के बीच लेनदेन के सार को देखना विभाग का कर्तव्य था, जो यह संकेत देता है कि वास्तव में यह व्यक्तिगत निदेशकों के लिए ऋण था, न कि कंपनी के लिए। निर्धारिती-कंपनी के निर्देशकों ने आगे कहा कि कंपनी के नाम पर ऋण दिया गया था, कंपनी के माध्यम से उधार लिया गया था और वास्तव में कंपनी के निदेशकों को ऋण दिया गया था। एक और पहलू का उल्लेख करना आवश्यक है कि प्राधिकरण के आक्षेपित निर्णय के अनुसार निदेशकों ने ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनी के नाम का दुरुपयोग किया था और इस

निष्कर्ष के साथ भी प्राधिकरण ने माना है कि कंपनी की ओर से कोई दायित्व नहीं था कि निर्धारिती को लेनदारों द्वारा भुगतान किए गए ब्याज पर टीडीएस काटकर अधिनियम की धारा 194 अ की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। इन सिविल अपीलों में निर्धारण के लिए पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या निर्धारिती-कंपनी के निदेशकों के लिए खोज और सर्वेक्षण कार्यों के बाद एओ के समक्ष यह दावा करना उचित है कि निर्धारिती द्वारा किए गए लेनदेन नाममात्र के लिए थे और वह वे वास्तव में केवल व्यक्तियों से संबंधित थे न कि करदाता-कंपनी से। दूसरे शब्दों में, यह प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया है कि एओ को करदाता के आदेश पर पर्दा उठाना चाहिए जो कहता है कि सौदा नाममात्र के लिए था, लेनदेन के सार का पता लगाएं और एक निष्कर्ष दर्ज करें कि ऋण वास्तव में दिया गया था कंपनी को, नहीं बल्कि व्यक्तिगत निदेशकों को।

6. हमारी राय में इस तरह का निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 194 अ वसूली तंत्र का हिस्सा है।

उक्त अनुभाग निम्न प्रकार से उल्लेखित है-

194 क. (1) “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज-

194 क. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब नहीं है और जो प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय से भिन्न ब्याज के रूप में कोई आय निवासी को भुगतान करने का जिम्मेदार है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चौक काट कर या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से, भुगतान करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, लागू दरों के अनुसार उस पर आय-कर की कटौती करेगा। परंतु ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान {कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए, से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरणः- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां यथापूर्वोक्त ब्याज के रूप में कोई आय ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी किसी व्यक्ति की लेखा बहियों में किसी खाते में, चाहे "संदेय ब्याज खाते" या "उचंत खाते" के नाम से या किसी

अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसी जमा रकम को, पाने वाले के खाते में ऐसी आय की जमा रकम समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(2) {वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.6.1992 से लोप किया गया।,

(3) उपधारा (1) के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे (i) जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की रकमों का योग की जो उस वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा पाने वाले को या उसके खाते में संदाय करने या जमा की जाने की संभावना है, निम्नलिखित से अधिक नहीं होता है।

(क) जहां संदायकर्ता ऐसी बैंककारी कंपनी है जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (इसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है);

(ख) जहां संदायकर्ता ऐसी कोई सहकारी सोसाइटी है जो बैंककारी कारबार करने में लगी हुई है;

(ग) सार्वजनिक कंपनी में जमा राशि जो कि भारत में पंजीकृत व बनी हुई है और उनका मुख्य व्यवसाय लम्बी अवधि हेतु निर्माण और भारत में रहवासीय उद्देश्य हेतु मकान खरीदने के लिए वितीय कार्य करना और जो कि धारा 36 के उपधारा 1 के उपवाक्य टपपप केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और उसके द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी स्कीम के अधीन डाकघर में किए गए किसी निक्षेप पर और उपरोक्त राशि की गणना बैंकिंग कंपनी या सहकारी समिति या सार्वजनिक कंपनी की किसी शाखा द्वारा जमा की गयी या भुगतान की गयी आय के संदर्भ में की जाएगी, जैसा भी मामला हो।

(ii) -----------

(iii) ऐसी आय जो भुगतान या जमा हो

(क) कोई बैंककारी कंपनी, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है या बैंककारी का कारबार करने में लगी हुई (जिसके अंतर्गत सहकारी भूमि बंधक बैंक भी है) कोई सहकारी सोसाइटी; या

(ख) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्‌वारा या के अंतर्गत स्थापित कोई वित्तीय निगम; या

(ग) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम; या

(घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट; या

(ड़) बीमा कारबार चलाने वाली, कोई कंपनी या सहकारी सोसाइटी, या

(च) ऐसी अन्य संस्था, संगम या निकाय अथवा संस्थाओं, संगमों या निकायों का वर्ग जिसे केन्द्रीय सरकार लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित करे;

(iv) ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो किसी फर्म द्‌वारा फर्म के किसी भागीदार के खाते में जमा या उसे संदत्त की गई हो;

(v) ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो किसी सहकारी सोसाइटी द्‌वारा (किसी सहकारी बैंक से भिन्न) उसके किसी सदस्य

के या किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा या किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के नाम जमा की गई या संदत्त की गई है;

(vi) ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और उसके द्वारा राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित किसी स्कीम के अंतर्गत निक्षेपों के संबंध में खाते में जमा की गई या संदत्त की गई है;

(vii) ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो किसी बैंककारी कंपनी में, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है, (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में उल्लिखित बैंक या बैंककारी संस्था है) निक्षेपों के (जो 1 जुलाई, 1995 को या उसके पश्चात् किए गए सावधि निक्षेपों से भिन्न है) संबंध में खाते में जमा की गई है या संदत्त की गई है;

(vii अ) ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो-

(क) किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी या किसी सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक में निक्षेपों के बारे में खाते में जमा की गई है या संदत्त की गई है;

(ख) उपखंड (क) में उल्लिखित सहकारी सोसाइटी या बैंक से भिन्न बैंककारी के कारबार में लगी सहकारी सोसाइटी (1 जुलाई, 1995 को या उसके पश्चात् किए गए सावधिक निक्षेपों से भिन्न निक्षेप) में निक्षेपों के बारे में खाते में जमा की गई है या संदत्त की गई है;

(viii) उस आय को लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) या दान-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) या अधिलाभ कर अधिनियम, 1963 (1963 का 14) या कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) या ब्याज कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) के किसी उपबंध के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा खाते में जमा की गई हो या संदत्त की गई हो;

(ix) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिणीर्त प्रतिकर की रकम पर ब्याज के रूप में जमा की गई या संदत्त ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की

रकम या वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई या संदत्त ऐसी रकमों का योग पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है;

(x) ऐसी आय को लागू नहीं होंगे, जो किसी अवसंरचनात्मक पूंजी कंपनी या अवसंरचनात्मक पूंजी निधि {या अवसंरचनात्मक ऋण निधि, या पब्लिक सेक्टर कंपनी या अनुसूचित बैंक द्वारा 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् जारी किए गए किसी जीरो कूपन बंधपत्र के संबंध में ऐसी कंपनी या निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी या अनुसूचित बैंक द्वारा संदत्त की गई है या संदेय है।

स्पष्टीकरण 1-खंड (i), खंड (vii) और खंड (vii अ) के प्रयोजनों के लिए "सावधिक निक्षेप" से नियत अवधियों की समाप्ति पर प्रतिसंदेय निक्षेप (जिनके अंतर्गत आवर्ती निक्षेप भी है) अभिप्रेत हैं।

स्पष्टीकरण 2- विलोपित

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति किसी ऐसी आधिक्य राशि या कम राशि का समायोजन करने के लिए, जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी पूर्ववर्ती कटौती से

या कटौती न करने से पैदा होती है, इस धारा के अधीन कटौती की जाने वाली रकम को कटौती करते समय घटा या बढ़ा सकेगा।

7. अधिनियम की धारा 194(1) में उल्लेखित 'आदाता के खाते में ऐसी आय जमा करने के समय' है। जब ब्याज को "ब्याज खाते" में नामे किया जाता है तो नामे एक विशिष्ट राशि के लिए होता है, जिसकी गणना ऋण के नियमों और शर्तों के अनुसार किसी विशेष लेनदार के प्रति कटौतीकर्ता की देनदारी के संदर्भ में की जाती है। इसलिए, जब भी भुगतानकर्ता के खाते में ब्याज जमा किया जाता है तो भुगतानकर्ता को टीडीएस काटना पड़ता है। मामले का सार यह है कि नामे एक विशिष्ट राशि के लिए है, जिसकी गणना ऋण के नियमों और शर्तों के अनुसार किसी विशेष लेनदार के प्रति कटौतीकर्ता की देनदारी के संदर्भ में की जाती है। वर्तमान मामले में, ऋणदाता ने निर्धारिती-कंपनी को ऋण दिया था। एक लेनदार के प्रति कटौतीकर्ता की देनदारी के संदर्भ में गणना की गई। एक विशिष्ट राशि के लिए निर्धारिती-कंपनी द्वारा "ब्याज खाते" में डेबिट किया गया था। ए.ओ. के समक्ष निर्धारिती -कंपनी का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है जिसके तहत कंपनी उधार और पुनर्भुगतान के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करने

के लिए सहमत हुई है। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्धारिती-कंपनी निदेशकों द्वारा उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं में किए गए पुनर्भुगतान के वितरण की दायी थी।

8. नतीजतन, विभाग अधिनियम की धारा 201 और 201(1 अ) के प्रावधानों को लागू करने में सही था। हालाँकि, तथ्यों पर हमारा विचार है कि पिछले कुछ वर्षों में पहली बार में विभाग को कंपनी द्वारा टीडीएस की गैर-कटौती की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी और ए.ओ. को इस तरह की कार्य करने पर आपत्ति उठाने से कोई नहीं रोक सकता था।

9. उपरोक्त कारणों से, हम उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देते हैं, अर्थात विभाग के पक्ष में और निर्धारिती-कंपनी के विरुद्ध। तदनुसार, विभाग की सिविल अपीले स्वीकार की जाती है। किसी भी प्रकार का कास्ट आदेश नहीं।

आर-पी- अपील मंजूर ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पूर्णिमा गौड़ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।